A - ५५०० - III/13

अभिषेक कुमार दास शिष्य पुत्र बाबा बिहारीदास, निवासी ग्राम सोहागपुर, बाणगंगा रामजानकी मंदिर सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला एवं संभाग शहडोल (म0प्र0)

—— अपीलां

बनाम

राज्य म0प्र0 जरिए जिलाध्यक्ष महोदय, शहडोल, प्रबंधक बाणगंगा रामजानकी मंदिर सोहागपुर, जिला शहडोल (म0प्र0)

——— रेस्पाडेन्ट

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
22 NOV 2013
शाखा
अधीक्षक कलेक्टर

अपील विरूद्ध आदेश कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल द्वारा रा0प्र0क्र0 31/निगरानी/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :—

1. यह कि बाणगंगा रामजानकी मंदिर ग्राम एवं तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल स्थित आ0खसरा नं0 511, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 कुल 11 कित जुमली रकवाई 18.04 एकड़ पूर्व में सर्वे बन्दोबस्त के समय बाबा गरीबदास के नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज थी, तथा बाबा गरीबदास के स्वर्गगत हो जाने पर उक्त विवादित आराजी उनके द्वारा नियुक्त उनके शिष्य पुत्र बाबा गिरवरदास और बाणगंगा, राम जानकी मंदिर के नाम से उक्त विवादित आराजियात शासकीय अभिलेखों में दर्ज हुई।

3789
2.12.13

2. यह कि बाबा गिरवरदास के स्वर्गगत हो जाने पर उक्त विवादित आराजियात बाबा गिरवर दास द्वारा नियुक्त उनके शिष्य, पुत्र बाबा घनश्यामदास के नाम रामजानकी मंदिर के साथ शासकीय अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए था।
3. यह कि तसहसीलदार सोहागपुर ने बाबा घनश्यामदास को सुनवाई का अवसर दिए बिना उनकी गैर जानकारी में उक्त विवादित आराजियात को बाणगांग राम जानकी मंदिर एवं कलेक्टर शहडोल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिए।
4. यह कि बाबा घनश्यामदास को जब उक्त दाखिल खारिज की जानकारी हुई तब उन्होंने कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जिसे कलेक्टर शहडोल द्वारा रा0प्र0क्र0 67/निगरानी/90—91 में पारित अपने आदेश दिनांक 30.09.91 को द्वारा आवेदक बाबा धनश्यामदास की निगरानी निरस्त कर दिए जिसकी अपील कमिश्नर महोदय, रीवा के न्यायालय में की गई और जब जिला शहडोल को संभाग का दर्जा मिल गया तब उक्त प्रकरण कमिश्नर महोदय, शहडोल के न्यायालय में [illegible]

XX-(a)-A-89
Rev.-Hindi

अभिषेक कुमार पाल / कलेक्टर शहडोल

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक A. 4400-तीन/13-शहडोल

(1)	(2)	(3)
13-5-15	अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर आवाज लगाई। अपीलार्थी की ओर से सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो (हस्ताक्षर) कलेक्टर	